।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत शाहपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 3/17 तारीख रज्जू 05.07.2019

01– राजेन्द्र जाटव पुत्र श्री बाडूराम जाति जाटव निवासी ग्राम रूंधशाहपुर तहसील अलवर –प्रार्थी

बनाम

01– तहसीलदार भू०अ० अलवर –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :– दिनांकः 18.12.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर हाल 242/488 रकबा 0.05 है०, 252 रकबा 0.03 है०, 308 रकबा 0.10 है०, 337 रकबा 0.15 है०, 357 रकबा 0.26 है०, 371 रकबा 0.25 है०, 377 रकबा 0.01 है० गैर मु० चाह, 433 रकबा 0.15 है०, 88 रकबा 0.24 है०, 90 रकबा 0.11 है०, 91 रकबा 0.15 है० कुल किता 11 रकबा 1.50 है० वाके ग्राम रूंधशाहपुर तहसील व जिला अलवर में बहिस्से अनुसार जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत 2069–2074 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजू पुत्र बांडू को कलमजन व दुरूस्त कर राजेन्द्र जाटव दर्ज कराया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी का घर व गांव में बोलता हुआ नाम राजू पुत्र बांडू था। प्रार्थी का सही व रिकार्ड दस्तावेज में नाम राजेन्द्र जाटव अंकित है। प्रार्थी के पिता का देहान्त हो गया है। पिता की मृत्यु के उपरान्त आराजियात की राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजू दर्ज हो गया है जो गांव में बोलता हुआ नाम है। प्रार्थी क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकल लेने दिनांक 24.06.2019 को

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

गया तो जानकारी में आया कि प्रार्थी का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड में राजू दर्ज हो गया है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र जाटव दर्ज है। तहसीलदार अलवर से भी नाम दुरूस्त किये जाने बाबत निवेदन करने पर टालमाल जवाब दिया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई इस सामान्य त्रुटि का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में रहने से प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति हो रही है। जिस कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। नायब तहसीलदार अलवर पैरोकार सरकार ने दिनांक 01.04.2021 को जवाब पेश किया।

पत्रावली आज प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021, कैम्प शाहपुर में पेश हुई।

प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी को सुना। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजू पुत्र बांडू के स्थान पर राजेन्द्र जाटव पुत्र बाडू दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत 2069–2074, शपथ पत्र राजेन्द्र जाटव पुत्र बाडू, नकल फोटोकापी राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र राजेन्द्र जाटव पुत्र बाडू, एवं शपथ पत्र फूलसिंह, रामसिंह, हीरालाल, अमरसिंह पुत्रान बाडूराम, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत शाहपुर, फोटोप्रति आधार कार्ड अमरसिंह, हीरालाल, रामसिंह फूलसिंह पर मनन किया। दस्तावेजात नकल फोटोकापी राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में राजेन्द्र पुत्र बाडू राम का अंकन है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं शपथपत्र के आधार पर प्रार्थी का नाम राजू पुत्र बांडू के स्थान पर राजेन्द्र जाटव पुत्र बाडूराम किया जाना उचित समझते है।

अतः जमाबन्दी सम्वत 2069–2074 के हाल आराजी खसरा नम्बर 242/488 रकबा 0.05 है०, 252 रकबा 0.03 है०, 308 रकबा 0.10 है०, 337 रकबा 0.15 है०, 357 रकबा 0.26 है०, 371 रकबा 0.25 है०, 377 रकबा 0.01 है० गैर मु० चाह, 433 रकबा 0.15 है०, 88 रकबा 0.24 है०, 90 रकवा 0.11 है०, 91 रकबा 0.15 है० कुल किता 11 रकबा 1.50 है० वाके ग्राम रूंधशाहपुर तहसील व जिला अलवर में प्रार्थी का नाम राजू पुत्र बांडूराम कलमजन किया जाता है, राजू पुत्र बांडूराम के स्थान पर राजेन्द्र जाटव पुत्र बाडूराम दर्ज किये जाने के तहसीलदार अलवर को आदेश दिये जाते है कि तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। अहकाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत शाहपुर में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठ्वाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर(राज०)